रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2968] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2019/भाद्र 18, 1941
No. 2968] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2019/BHADRA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2019

का.आ. 3244(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 3557(अ), तारीख 08 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा (i) में, क्रम संख्यांक (3) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"3. विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, पंजाब सरकार	- सदस्य सचिव";

(ii) पैरा 5 में, क्रम संख्यांक (15) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"15. अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पंजाब	- सचिव"।

[फा. सं. जे-11013/43/2007-आईए.II (I)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का. आ. सं. 3557(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2019

S.O. 3244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3557(E), dated the 8th November, 2017, namely:-

2. In the said notification, (i) in the opening paragraph, for the entries against serial number (3.), the following entries shall be substituted, namely:-

''3. Special Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Science Technology and Environment, Government of Punjab -Member Secretary'';

(ii) in the paragraph 5, for the entries against serial number (15.), the following entries shall be substituted, namely:-

''15. Additional Director or Joint Director, Directorate of Environment and Climate Change, Punjab -Secretary''.

[F.No. J-11013/43/ 2007- IA.II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3557(E), dated the 8th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.